कार्यालय उप संचालक पंचायत जिला जांजगीर–चांपा

क्रमांक / पंचायत / 2018 / 05 जांजगीर, दिनांक 03 / 01 / 2018

प्रति,

कलेक्टर
(सूचना के अधिकार शाखा एवं एन.आई.सी.)
जिला जांजगीर चांपा

विषय :– सूचना के अधिकार से संबंधित 17 बिन्दु की जानकारी भेजने बाबत्।

संदर्भ :– समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार के तहत 17 बिन्दुओं की जानकारी सी.डी. सहित तैयार कर इस ज्ञापन के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

03/1/18

उप संचालक
पंचायत
जिला जांजगीर चांपा

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी

क.	प्रश्न	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	उप संचालक पंचायत जिला जांजगीर चांपा, पंचायत विभाग के समस्त निर्देशो एवं कार्यो का सुचारू रूप से संपादन।
2	अपने संगठन के अधिकारियों /कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य	लिपिक /चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रशासनिक / वित्तिय प्रकरणों का निपटारा तथा जन शिकायतों का निराकरण करना।
3	अपने विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शाखा लिपिक के द्वारा नस्ती प्रस्तुत करने पर स्वीकृति/दण्डात्मक कार्यवाही एवं कार्यालयीन शाखाओं में सुधार हेतु निर्देश/आदेश दिये जाते हैं।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	राज्य शासन द्वारा प्रायोजित नियमों/निर्देशों के तहत पंचायत विभाग के कार्य संपादित किये जाते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम एवं अनुदेश	अपने या अपने कर्मचारियों के लिये मूलभूत नियम छ.ग., छ.ग. वित्त संहिता, छ.ग.(आचरण) नियम,छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) छ.ग.पेंशन /सामान्य भविष्य निधि आदि नियमों का प्रयोग अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।	इस कार्यालय में लिपिकों के द्वारा संबंधित शाखा के दस्तावेजों/अभिलेखों की नस्ती तैयार किया जाता है तथा कम्प्यूटर में लोड कर रखा जाता है।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	नितिगत नियमों का निर्धारण सामान्यतः शासन द्वारा किया जाता है। जिसके तहत लोक सदस्यों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही/निराकरण किया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों के लिए सुलभ है।	निरंक
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	कार्यालय उप संचालक पंचायत जिला जांजगीर चांपा के स्थापना के अधिन कार्यरत् कर्मचारियों की पदोन्नति/वित्तीय प्रकरणों/अवकाश प्रकरणों एवं कर्मचारियों के शिकायतों पर कार्यवाही कर प्रकरणों का निपटारा पंचायत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित जन शिकायतों का निराकरण करना आदि।

10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विनियमों में अथवा क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	निरंक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण के आबंटित बजट।	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय नियमानुसार किया जाता है तथा जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाती है।
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का व्यौरा।	निरंक
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियायतो, अनुज्ञा पन्नों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं का विवरण।	निरंक
14	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में व्यौरा।	कार्यालय उप संचालक पंचायत जिला जांजगीर चांपा में कार्यालयीन कार्य के संपादन हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध है तथा सूचना हेतु ई-मेल का उपयोग किया जाता है।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के व्यौरे जिनमें जन साधारण के उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन कक्ष के व्यौरे भी सम्मिलित हो।	सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर संबंधित आवेदकों को सूचना डाक द्वारा/व्यक्तिगत उपस्थित होने पर दी जाती है एवं जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम व अन्य विशिष्ठियां ।	श्री बी.पी.भारद्वाज उप संचालक पंचायत जिला जांजगीर चांपा
17	अन्य उपयोगी जानकारी	निरंक

03/1/18

उप संचालक
पंचायत
जिला जांजगीर चांपा